Form No. III

फर्दअहकाम

G.C.M.S. no. – 2021/312

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मोहम्मद शाहिद बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **199** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/09/21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं सहायक लोक अभियोजक उपस्थित। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन अशोका लिलेण्ड कम्पनी ट्रक कन्टेनर वाहन संख्या RJ 06 GC 1757 को सिपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी मोहम्मद शाहिद पिता मुमु उर्फ मामुर शाह जाति मुसलमान निवासी 12/1 आजाद गली नं. 1 महिदपुर जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) वाहन स्वामी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा पत्रांक/निल से दिनांक निल से टिप्पणी मय काउन्टर पत्रावली के प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। सहायक लोक अभियोजक ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार से प्राप्त कमेन्ट्स में उन्होने जब्तशुदा वाहन अशोका लिलेण्ड कम्पनी ट्रक कन्टेनर संख्या RJ 06 GC 1757 के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर मुल्जिमान के विरुद्ध चार्जशीट संख्या 060/2021 दिनांक 16.04.2021 को कता की जाकर दिनांक 08.07.2021 को न्यायालय सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगरार को प्रस्तुत किया जाना अवगत कराया गया है। चूंकि वाहन अशोका लिलेण्ड कम्पनी ट्रक कन्टेनर रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 06 GC 1757 के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अतः रूपये 2500000/- अक्षरे पच्चीस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पुलिस थानाधिकारी गंगरार से प्राप्त केस डायरी लौटाई जावें। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। (तारा चन्द मीणा) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official